

निदेशालय बीज एवं प्रक्षेत्र,
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर— 208 002

पत्रांक: २७। /बी०एवं प्र०/2018

दिनांक: जुलाई १६, 2018

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निदेशालय के अधीन संचालित नवीन दुर्घटाला प्रक्षेत्र एवं तिलहन शोध प्रक्षेत्र, कल्यानपुर, कानपुर पर उपलब्ध अरहर की लकड़ी क्रमशः लगभग 68 कु० एवं 90 गढ़े की बोली द्वारा नीलामी प्रक्षेत्र पर ही दिनांक 23.07.2018 को नवीन दुर्घटाला प्रक्षेत्र पर दोपहर 12.30 बजे एवं तिलहन शोध प्रक्षेत्र, कल्यानपुर, कानपुर पर 2.30 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा गठित समिति के सदस्यों एवं प्रक्षेत्र अधीक्षक, नवीन दुर्घटाला प्रक्षेत्र एवं तिलहन शोध प्रक्षेत्र, कल्यानपुर, कानपुर पर के समक्ष निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन सम्पन्न कराई जायेगी।

नियम एवं शर्तेः

- (1) नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में प्रक्षेत्र अधीक्षक, नवीन दुर्घटाला एवं तिलहन शोध प्रक्षेत्र, कल्यानपुर, कानपुर से सम्पर्क स्थापित कर उपलब्ध अरहर की लकड़ी का निरीक्षण / मूल्यांकन कर सकते हैं।
- (2) नीलामी हेतु उपलब्ध अरहर की लकड़ी जहाँ है, जैसे है की स्थिति में अधिकतम बोली के आधार पर नीलामी की जायेगी।
- (3) नीलामी में सम्मिलित होने हेतु समस्त बोली कर्ता (भागीदारों) को रु० 500.00 नकद बतौर अग्रिम जमानत धनराशि के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।
- (4) उच्चतम बोली को छोड़कर शेष समस्त बोली दाताओं द्वारा जमा की गई अग्रिम धनराशि को नीलामी के पश्चात तुरन्त मौके पर ही वापस कर दी जायेगी।
- (5) क्रेता को नियमानुसार देय कर स्वयं अदा करना होगा।
- (6) बोली को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र, च०श०आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी, कानपुर को सुरक्षित होगा।
- (7) क्रेता को सामग्री का सम्पूर्ण धनराशि विक्रय आदेश निर्गत होने के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर प्रक्षेत्र अधीक्षक के पास नकद जमा कर स्वयं के संसाधन से तीन दिन के अन्दर उठाना अनिवार्य होगा।

Sri Vivek Kumar

17-7-18

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- (1) अधिष्ठाता, कृषि संकाय / गृह विज्ञान / छात्र कल्याण।
- (2) भण्डार क्रय अधिकारी।
- (3) प्रभारी, ए.के.एम.यू. को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त नीलामी सूचना विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर दर्शाने का कष्ट करें।
- (4) नीलामी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य गण।
- (5) समस्त सूचना पट।
- (6) अर्थ नियन्त्रक।
- (7) सम्पत्ति अधिकारी, च०श०आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी, कानपुर।
- (8) प्रक्षेत्र अधीक्षक, नवीन दुर्घटाला प्रक्षेत्र एवं तिलहन शोध प्रक्षेत्र, कल्यानपुर, कानपुर को इस निर्देश के साथ कि उक्त नीलामी की सूचना स्थानीय स्तर पर भी व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करायें।
- (9) गार्ड फाइल निदेशालय बीज एवं प्रक्षेत्र कार्यालय।
- (10) कुलपति के तकनीकी सचिव को माननीय कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।

8/06/18

(सी०एल० मौर्य)
निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र

**निदेशालय बीज एवं प्रक्षेत्र,
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर- 208 002**

पत्रांक: २७० /बी०एवं प्र०/2018

दिनांक: जुलाई 16, 2018

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निदेशालय के अधीन संचालित फसल शोध प्रक्षेत्र, डीघ पर उपलब्ध अरहर की लकड़ी लगभग 80 ग्रॅम की बोली द्वारा नीलामी प्रक्षेत्र पर ही दिनांक 27.07.2018 को अपराह्न 2.30 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा गठित समिति के सदस्यों एवं प्रक्षेत्र अधीक्षक, फसल शोध प्रक्षेत्र, डीघ के समक्ष निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन सम्पन्न कराई जायेगी।

नियम एवं शर्तें :

- (1) नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में प्रक्षेत्र अधीक्षक, फसल शोध प्रक्षेत्र, डीघ से सम्पर्क स्थापित कर उपलब्ध अरहर की लकड़ी का निरीक्षण/मूल्यांकन कर सकते हैं।
- (2) नीलामी हेतु उपलब्ध अरहर की लकड़ी जहाँ है, जैसे है की स्थिति में अधिकतम बोली के आधार पर नीलामी की जायेगी।
- (3) नीलामी में सम्मिलित होने हेतु समस्त बोली कर्ता (भागीदारों) को रु0 500.00 नकद बतौर अग्रिम जमानत धनराशि के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।
- (4) उच्चतम बोली को छोड़कर शेष समस्त बोली दाताओं द्वारा जमा की गई अग्रिम धनराशि को नीलामी के पश्चात तुरन्त मौके पर ही वापस कर दी जायेगी।
- (5) क्रेता को नियमानुसार देय कर स्वयं अदा करना होगा।
- (6) बोली को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र, च०श०आजाद कृषि एवं प्रौ०वि०वि०, कानपुर को सुरक्षित होगा।
- (7) क्रेता को सामग्री का सम्पूर्ण धनराशि विक्रय आदेश निर्गत होने के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर प्रक्षेत्र अधीक्षक के पास नकद जमा कर स्वयं के संसाधन से तीन दिन के अन्दर उठाना अनिवार्य होगा।

(सी०एल०मौर्य)

निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- (1) अधिष्ठाता, कृषि संकाय/गृह विज्ञान/छात्र कल्याण।
- (2) भण्डार क्रय अधिकारी।
- (3) प्रभारी, ए.के.एम.यू. को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त नीलामी सूचना विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर दर्शने का कष्ट करें।
- (4) नीलामी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य गण।
- (5) समस्त सूचना पट।
- (6) अर्थ नियन्त्रक।
- (7) सम्पत्ति अधिकारी, च०श०आजाद कृषि एवं प्रौ०वि०वि०, कानपुर।
- (8) प्रक्षेत्र अधीक्षक, फसल शोध प्रक्षेत्र, डीघ को इस निर्देश के साथ कि उक्त नीलामी की सूचना स्थानीय स्तर पर भी व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार कराये।
- (9) गार्ड फाइल निदेशालय बीज एवं प्रक्षेत्र कार्यालय।
- (10) कुलपति के तकनीकी सचिव को माननीय कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।

Dml
(सी०एल० मौर्य)
16/7/18

निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र